पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र' को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया रुख से पता चलता है कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 "**किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र**" को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- पूजा स्थल अधिनियम, 1991 **धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है।**
  - **यह किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है** जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था।
- ज्ञानवापी मामला **वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है** , जिसमें एक मस्जिद तथा एक मंदिर दोनों हैं।
- हिदूवादी का तर्क है कि **मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र मूल रूप से** स्वयंभू भगवान आदि **विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर था**।
- उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित इस मंदिर को **वर्ष 1669 में सम्राट औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था।**
- न तो सरकार और न ही **सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख** अपनाया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/trial-essential-to-define-religious-character-of-place-of-worship-allahabad-hc